न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) ए के तहत
अनुमति वाद संख्या –आर० एम० 134 / 2022–23

विजय पातर मुण्डा...विक्रेता

बनाम

जय प्रकाश मुण्डा.. ....क्रेता

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

28.01.2023

विक्रेता का नाम एवं पता– विजय पातर मुण्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुण्डा, ग्राम–बुण्डू (टांगरटोली), पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–पातर मुण्डा पेशा–खेतीवारी वर्त्तमान पता–नीचे चुटिया, कमलु टोली पो०–चुटिया, थाना–चुटिया (राँची)।

क्रेता का नाम एवं पताः– जय प्रकाश मुण्डा, पिता–स्व० रमेश चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बारूहातु पो०–बारूहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा पेशा–खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री रामचरण महतो।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06 / 12 / 2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत क्रेता जय प्रकाश मुण्डा, पिता–स्व० रमेश चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बारूहातु पो०–बारूहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा पेशा–खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–अलना, थाना–बुण्डू, थाना सं०–19

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
18	177	06 डी०	उ०–दिनेन्द्र सिंह मुण्डा द०–विक्रेता नीज पू०–राम जीवन पातर प०–सहायक रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक–27 (ii) दिनांक 18 / 01 / 2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत बुधन वो मंगल पातर पे० दादु पातर कौम–पातर के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत से आवेदक का पोता का संबंध है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम बुधन पातर वगैरह है ।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012–2013 तक वसूली की गई है।
5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन III किस्म है।

28.01.2023

7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
9. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–3.06 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
10. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घरेलू कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
11. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों मुण्डा जाति के सदस्य है। जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है ।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है।
14. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
15. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
16. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
17. प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत विक्रेता विजय पातर मुण्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुण्डा, ग्राम–बुण्डू (टांगरटोली), पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–पातर मुण्डा पेशा–खेतीवारी ने क्रेता/विपक्षी जय प्रकाश मुण्डा, पिता–स्व० रमेश चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बारूहातु पो०–बारूहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा पेशा–खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06/12/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता विजय पातर मुण्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुण्डा, ग्राम–बुण्डू (टांगरटोली), पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–पातर मुण्डा पेशा–खेतीवारी को क्रेता/विपक्षी जय प्रकाश मुण्डा, पिता–स्व० रमेश चन्द्र मुण्डा, ग्राम–बारूहातु पो०–बारूहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा पेशा–खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (।) ए के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–अलना, थाना–बुण्डू, थाना सं०–19

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
18	177	06 डी०	उ०–दिनेन्द्र सिंह मुण्डा द०–विक्रेता नीज पू०–राम जीवन पातर प०–सहायक रास्ता

लेखापित एवं सशोंधित

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.15 17:04:43 +05:30
Location: 10.93.79.19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू(राँची)।

28/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू(राँची)।